GCMS No:-2025/77 FORM NO -III

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉपोरेशन लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विनय राणा जिसका पंजिकृत कार्यालय – प्लॉट नं. 15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सैक्टर–44, गुरूग्राम, हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नम्बर ए–94,95, प्रथम तल, आखलिया विकास योजना,शिगौरी प्लाजा, जोधपुर जरिऐ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विनय		1. स्व0 श्रीमती सुशीला देवी के कायम मुकाम(वारिस)(ऋणी व बंधकर्ता) 2. स्व0 श्री नन्दकिशोर के का0मु0(वारिस) (सहऋणी) 3. श्री भवानी शंकर पता–प्लॉट नं74,खसरा नम्बर 16 प्रेमनगर, हवाईपट्टी,गाधीला बासनी,नागौर

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या** 69 **सन् 2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14/2025	वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति प्लांट संख्या 74 खसरा नम्बर 16 ग्राम गांधीला बासनी का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण स्व0 श्रीमती सुशालीदेवी के कायम मुकाम एवं स्व0 श्री नन्दकिशोर के का0मु0 के विरूद्व पेश किया गया हैं। इस प्रकरण में उपरोक्त मृतकों के वारिसान कौन2 हैं उनका अंकन नहीं किया गया हैं तथा इस प्रकरण में जारी धारा 13(2) का नोटिस में भी मृतको के विधिक वारिसानों का अंकन नहीं करते हुवे स्व0 श्रीमती सुशालीदेवी के कायम मुकाम एवं स्व0 श्री नन्दकिशोर के का0मु0 लिखित हुवे जारी किया गया हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकारो को धारा 13(2) का विधिवत् नोटिस तामिल नहीं हुआ हैं,क्योंकि इस नोटिस में मृतकों के वारिसानों के नाम ही अंकित नहीं हैं। इसलिए विधिक वारिसानों को धारा 13(2) का नोटिस विधिवत् तामिल नहीं होने से इस प्रकरण में विधिक आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में विधिक प्रकिया अपनाये जाने का अभाव होने से इस पत्रावली में आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। **इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज किया जाता हैं।** प्रार्थी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर मृतकों के विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाते हुवे उनको धारा 13(2) का नोटिस तामिल करवाया जाकर पुनः पत्रावली पेश किये जाने पर यह आदेश उस पत्रावली पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** **नागौर**	